

9
10.11.21

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
कैम्प ग्राम पंचायत बोधी

Form No-|||

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

...जगदीरा सि... बनाम

सरकार

नम्बर

298

सन् 2021

किस्म मुकदमा 136 एल आर एक्ट

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021 /

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जे इस हुकम की तामिल में जारी किए
10.11.2021	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>रायसिंहनगर</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/689 दिनांक <u>10.11.2021</u> के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>बोधी</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>S4 N.P</u> की जमाबंदी सम्बत् <u>2076-79</u> के खाता सं. <u>23</u> में</p> <p><u>जगदीरा S/O अर्पिता सि</u></p> <p>के स्थान पर <u>जगदीरा सि S/O अर्पिता सि</u></p> <p>की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>रायसिंहनगर</u> की अनुशंषा के आधार पर वाके चक <u>S4 N.P</u> तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बत् <u>2076-79</u> के खाता सं. <u>23</u> में</p> <p><u>जगदीरा S/O अर्पिता सि</u></p> <p>के स्थान पर <u>जगदीरा सि S/O अर्पिता सि</u></p> <p>की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p> <p><u>अर्पिता सोनी</u> (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर</p>	